न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 53/2024 (Bank Case)

GCMS NO- 2024/109

जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय– 101–102, फर्स्ट फ्लोर, गुमान टॉवर, नेशनल हेण्डलूम के पास, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी पंकज अमित सिंह।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रामचरण पुत्र श्री जानकी लाल (ऋणी/बंधककर्ता)
   पता– बस स्टेण्ड दीगोद, पोस्ट ऑफिस के पास, जिला कोटा राजस्थान
   अन्य पता– पट्टा नं. 05392, ख.नं. 1392, मिसल नं. 243, ग्राम पंचायत दीगोद, पंचायत समिति सुल्तानपुर, कोटा
2. श्रीमती निल कमल पत्नी श्री रामचरण (सहऋणी)
   पताः हरिजन मोहल्ला, वार्ड नं.–8, दीगोद, पोस्ट ऑफिस के पास, जिला कोटा
   अन्य पता– पट्टा नं. 05392, ख.नं. 1392, मिसल नं. 243, ग्राम पंचायत दीगोद, पंचायत समिति सुल्तानपुर, कोटा

– अप्रार्थी/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री एल.एस. राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08.10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी– जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय– 101–102, फर्स्ट फ्लोर, गुमान टॉवर, नेशनल हेण्डलूम के पास, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 26.09.2020 को राशि 5,89,700/– रूपये (अक्षरे पांच लाख नवासी हजार सात सौ रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे रामचरण मेघवाल पुत्र श्री जानकीलाल की अचल सम्पत्ति– पट्टा नं. 05392, ख.नं. 1392, मिसल नं. 243, ग्राम पंचायत दीगोद, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग फुट है, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत दीगोद पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 02.12.2017 से रामचरण मेघवाल के नाम जारीशुदा है। जिसकी चतुर्थ सीमाये– उत्तर में : आम रास्ता, दक्षिण में : जयनारायण जी का मकान , पूर्व में : आम रास्ता, पश्चिम में : जगदीश जी मेघवाल का मकान है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 01.11.2023 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 5,33,371/– रूपये (अक्षरे पांच लाख तेतीस हजार तीन सौ इकत्तीस रूपये मात्र) दिनांक 22.11.2023 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.11.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी बावजूद सुचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय व्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 25.11.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता– रामचरण मेघवाल पुत्र श्री जानकीलाल की अचल सम्पत्ति– पट्टा नं. 05392, ख.नं. 1392, मिसल नं. 243, ग्राम पंचायत दीगोद, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग फुट है, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत दीगोद पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 02.12.2017 से रामचरण मेघवाल के नाम जारीशुदा है। जिसकी चतुर्थ सीमाये– उत्तर में : आम रास्ता, दक्षिण में : जयनारायण जी का मकान , पूर्व में : आम रास्ता, पश्चिम में : जगदीश जी मेघवाल का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित प्रार्थी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)